दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

रि.या.(सि) सं. 5883/2013 व सि.वि. सं. 12958/2013 व 1053/2014

निर्णय की तिथिः 16 अप्रैल, 2014

भारत संघ और अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्री. एम.के भारद्वाज, अधिवक्ता।

बनाम

रजनीश जैन .....प्रत्यर्थी

द्वारा: प्रत्यर्थी स्वयं

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल, (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने मू.आ. सं. 1362/2012 में पारित दिनांक. 7 फरवरी, 2013 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अधिकरण ने का. ज्ञा. दिनांकित 18 अक्टूबर, 2010 और दिनांक 17 जनवरी, 2012 की वर्तमान प्रत्यर्थी की चुनौती को स्वीकार कर लिया है जिसमें वर्ष 2005-06 के लिए उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) में प्रतिकूल टिप्पणियों और श्रेणीकरण से संबंधित अभ्यावेदन खारिज कर दिए गए थे।

अधिकरण ने दिनांक. 7 फरवरी, 2013 को अपने फैसले द्वारा प्रत्यर्थी के चुनौती को स्वीकार कर लिया। जिसे हमारे समक्ष चुनौती दी गयी है।

2. वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स निर्विवाद है। प्रत्यर्थी वर्ष 2005-06 के दौरान याचिकाकर्ता के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग में संयुक्त निदेशक के रूप में काम कर रहा था। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (इसके बाद 'एसएजी') में पदोन्नति के लिए आवेदक और अन्य लोगों पर विचार करने के लिए जुलाई, 2009 में एक डीपीसी अभिनिर्धारित कि थी। हालाँकि, प्रत्यर्थी को पदोन्नत नहीं किया गया था और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगने पर, उसे पता चला कि उसे पदोन्नत नहीं किया गया था क्योंकि वर्ष 2005-06 के लिए उसका ए. सी. आर. बेंचमार्क से नीचे था। यह निर्विवाद है कि इस तरह की टिप्पणियों को वर्ष 2010 तक याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया था जब उसने वर्तमान याचिकाकर्ता से जानकारी मांगी थी।

3. यह हमारे समक्ष स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी को 2001 से 2004-05 के साथ-साथ 2005-06 के बाद भी लगातार 'बहुत अच्छा' से श्रेणीबद्ध किया गया था। वर्ष 2005-06 में उनकी श्रेणीकरण में अचानक अवनति आई और यह 'औसत' हो गई। रिपोर्टिंग अधिकारी ने इस विशेष वर्ष के लिए अपने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विभिन्न स्तंभों में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां भी कीं।

4. प्रत्यर्थी ने अपने ए.सी.आर. के उन्नयन के लिए 25 मई, 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के का.ज्ञा. के माध्यम से इस अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मू.आ. सं. 3288/2011 के तहत याचिका दायर की, जिसमें इसे रद्द करने तथा वर्तमान याचिकाकर्ता को एसएजी ग्रेड में पदोन्नति के उसके दावे पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई।

5. इस आवेदन का केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक. 13 सितंबर, 2011 के एक आदेश द्वारा निपटान किया गया था, जिसमें वर्तमान याचीगण को प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए कई मुद्दों से नए सिरे से निपटने का निर्देश जारी किया गया था। वर्तमान प्रत्यर्थी को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि यदि वह पारित किए गये नए आदेश से व्यथित है तो वह नए सिरे से न्यायनिर्णय लेने की मांग कर सकती है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि नए सिरे से विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निर्णय को दिनांक. 17 जनवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सूचित किया गया, जिसका उन्होंने मू.आ. सं. 1362/2012 के माध्यम से विरोध किया। वर्तमान याचीगण ने प्रत्यर्थी के चुनौती का विरोध किया और की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया। प्रत्यर्थी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, रिपोर्टिंग अधिकारी के अधिकार को चुनौती

दी कि वह उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करे क्योंकि वह उसके समान ग्रेड में था। दिनांक. 7 फरवरी, 2013 के आदेश द्वारा, चुनौती का यह आधार न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है। चूंकि न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को प्रत्यर्थी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए हमें मामले के इस पहलू पर आगे और अधिक विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

7. हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी ने असद्भावी आधार पर भी अपने ए.सी.आर. 2005-2006 अवधि के लिए रिपोर्टिंग और समीक्षा अधिकारी की टिप्पणियों को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी की चुनौती पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। 7 फरवरी, 2013 के आदेश के अनुच्छेद 9 और 10 पर हमारे समक्ष चनौती दिया गया, उपयोगी रूप से उद्धृत होना चाहिए और निम्नलिखित रूप में पढ़ने योग्य हैः-

> "9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रत्यर्थी सं.2 द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में आवेदक की वर्ष 2005-06 की अवधि के लिए एसीआर दर्ज करने में कोई कमी नहीं है। प्रत्यर्थी सं.1 ने इस न्यायाधिकरण द्वारा मू.आ. सं. 3288/2011 में पारित दिनांक 13.09.2011 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार मामले का निर्णय करते समय इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। आवेदक द्वारा भरोसा किए गए सुखदेव के मामले (पूर्वोक्त) के निर्णय का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि उक्त मामला विचाराधीन मामले से संबंधित नहीं है, क्योंकि दोनों मामलों के

तथ्य भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, रिकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि आवेदक की 2005-06 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अक्टूबर/नवम्बर, 2006 में दर्ज की गई थी, तथापि आवेदक को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की विषय-वस्तु से अवगत नहीं कराया गया था तथा उसे इसके विरूद्ध अभ्यावेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उत्पादन की गुणवत्ता, कार्य के प्रति दृष्टिकोण, पारस्परिक संबंध और सामान्य मूल्यांकन के संबंध में की गई प्रविष्टियां निश्चित रूप से प्रतिकूल हैं और इन्हें सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि समीक्षा अधिकारी ने रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दिए गए अधिकारी के मूल्यांकन पर अपने विचार दर्ज करते समय पाया कि ये सही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, ए.सी.आर. के भाग-III के कॉलम-I में, जो अधिकारी द्वारा भरे गए भाग-II पर टिप्पणियों से संबंधित है, रिपोर्टिंग अधिकारी ने ए.सी.आर. के भाग-II के कॉलम-5 की विषय-वस्तु के संदर्भ में, जिसमें अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के दौरान प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा दिया गया है, "हां, मैं सहमत हूं" दर्ज किया है । यह मानना असद्भावपूर्ण प्रतीत होता है कि आवेदक का प्रदर्शन औसत है, जबकि प्रत्येक लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों/उद्देश्यों और उपलब्धियों से संबंधित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से सहमत होते हुए भी, जैसा कि रिपोर्ट किए गए अधिकारी ने भी दावा किया है कि कोई कमी नहीं है। आवेदक 2005-06 की एसीआर की प्रतिकूल टिप्पणियों और ग्रेडिंग के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन 2010 में ही दाखिल कर पाई, जबकि एसीआर दर्ज होने के काफी समय बाद और जब उसे पता चला कि डीपीसी ने उसे एसएजी में पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया है। यहां तक कि उस समय भी जब सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध आवेदक के अभ्यावेदन पर विचार किया,

रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारियों द्वारा अपनी टिप्पणियों में प्रदर्शन में कमी का एकमात्र उदाहरण अतिरिक्त सचिव की दिनांक 12.11.2005 की टिप्पणियों से संबंधित था। अधिकारी के एसीआर डोजियर के अवलोकन से पता चलता है कि उसका दावा कि उसे वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक और उसके बाद 2005-06 तक लगातार बहुत अच्छा ग्रेड दिया गया है, वैध है और 2005-06 में प्रदर्शन में अचानक अवनति औसत/अच्छा स्तर पर आना संभव नहीं लगता। यहाँ, एम.ए. राजशेखर मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय और कई अन्य फैसले प्रासंगिक प्रतीत होते हैं क्योंकि एसीआर दर्ज करने वाले अधिकारी को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से ऐसा करना चाहिए।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणियाँ पक्षपातपूर्ण हैं। इसके अलावा, आवेदक के पास प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का समय पर अवसर नहीं था। चूंकि आवेदक को बिना किसी गलती के दो बार इस न्यायाधिकरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, इसलिए हम इस मू.आ. को इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि दिनांक. 18.10.2010 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और 2005-06 के एसीआर को गैर अनुमानित माना जाता है। परिणामी राहत, यदि कोई हो, प्रत्यर्थी सं.1 के साथ विचार के लिए होगी। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

8. हमारे समक्ष, याचीगण न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरण या उपरोक्त निष्कर्षों पर किसी भी कानूनी रूप से मान्य आधार पर विवाद करने में असमर्थ हैं।

हम न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं देखते हैं और इस रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जिसे एतत द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी को डी.पी.सी. द्वारा केवल इस आधार पर अनुकूल विचार नहीं दिया गया था कि क्योंकि वर्ष 2005-06 के लिए उसका ए.सी.आर. मानदंड को पूरा नहीं करता था। याचीगण द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष यह एकमात्र आधार प्रस्तुत किया गया था। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि वर्ष 2005-06 के लिए ए.सी.आर. को गैर-स्थायी माना जाएगा। डी.पी.सी. द्वारा पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए प्रत्यर्थी की योग्यता का मूल्यांकन करते समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता था जब उनके सह-भागियों या कनिष्ठों पर विचार किया जाता था।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उसे पदोन्नति से वंचित करते हुए कई कनिष्ठों को भी पदोन्नत किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रत्यर्थी को डी.पी.सी. द्वारा उचित विचार के लाभ से वंचित कर दिया गया है, यदि उसे अभी बुलाई जाने वाली डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो प्रत्यर्थी को परिणामी लाभ भी दिए जाने चाहिए।\

10. हमें सूचित किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने याचीगण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की है।

11. याचीगण को न्यायाधिकरण के दिनांक. 7 फरवरी, 2013 के आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। परिणामस्वरूप, अवमानना याचिका की कार्यवाही दिनांक. 30 मई, 2014 तक प्रास्थगन रखी जाएगी।

याचिकाकर्ता को अवमानना न्यायालय के समक्ष अवधि समाप्ति पर या उससे पहले न्यायाधिकरण के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

<u>सि.वि.सं.12958/2013 और 1053/2014</u>

12. रिट याचिका में पारित आदेशों के मद्देनजर, ये आवेदन न्यायनिर्णयन के योग्य नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है।

पक्षकारों को इस आदेश की प्रति दस्ती दी जाए।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)
न्यायाधीश

16, अप्रैल 2014
आआ

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*